रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 109] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 9, 1970/ज्येष्ठ 19, 1892

No. 109] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 9, 1970/JYAISTHA 19, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 9th June 1970

G.S.R. 934./Ess. Com./Sugar.—In exercise of the powers conferred by sub-section (30) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order, further to amend the Sugar (Price Determination) Order, 1970, namely:—

1. (1) This Order may be called the Sugar (Price Determination) Fourth Amendment Order, 1970.

(2) It shall come into force at once.

2. In Schedule I to the Sugar (Price Determination) Order, 1970,—

(i) for the entries relating to "Mysore" in columns 2 to 10, the following entries shall be substituted, namely:—

"(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)"
131·57	130·42	129·87	130·57	129·57	129·07	129·57	128·72	128·22"

(ii) the following note shall be added at the end, namely:—

"NOTE.—The prices specified above shall not apply to the following four factories situated in the State of Mysore, namely:—

(1) The India Sugars and Refineries Limited, Post Office Hospet, District Bellary.

(2) The Bellary Central Cooperative Stores, Sugar Factory, P.O. Kampli, District Bellary.

(3) The Salar Jung Sugar Mills Limited, Post Office Munirabad, District Raichur.

(4) Bidar Sahakara Sakkare Karkhane Limited, Bidar, District Bidar.

[No. 2-1/70-S.Py.]

R. S. TALWAR, Jt. Secy.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, 9 जून 1970

आदेश

सा० का० नि० 934.—आवश्यक वस्तु/शर्करा—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (3ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार शर्करा (कीमत अवधारण) आदेश, 1970 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) यह आदेश शर्करा (कीमत अवधारण) चतुर्थ संशोधन आदेश, 1970 कहा जा सकेगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत होगा।

2. शर्करा (कीमत अवधारण) आदेश, 1970 की अनुसूची 1 में, —

(i) स्तम्भ 2 से लेकर 10 तक में "मैसूर" से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्—

"(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
131.57	130.42	129.87	130.57	129.57	129.07	129.57	128.72	128.22;"

(ii) अन्त में निम्नलिखित टिप्पण जोड़ा जाएगा, अर्थात :—

"टिप्पण:—ऊपर विनिर्दिष्ट कीमतें मैसूर राज्य में स्थित निम्नलिखित चार कारखानों को लागू नहीं होंगी, अर्थात् :—

(1) दि इंडिया शुगर्स एण्ड रिफाइनरीज लिमिटेड, डाकघर होस्पेट, जिला बेल्लारी।

(2) दि बेल्लारी सेन्ट्रल कोआपरेटिव स्टोर्स शुगर फैक्टरी, डाकघर काम्पली, जिला बेल्लारी ।

(3) दि सालारजंग शुगर मिल्स, डाकघर मुनीराबाद, जिला रायचूर ।

(4) बिदार सहाकारी सक्खारे कारखाने लिमिटेड, बिदार, जिला बिदार ।"

[सं० 2-1/70-एस० पी० वाई०]

आर० एस० तलवाड़,
संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1970